नौएडा
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रशासनिक भवन, सैक्टर-6, नौएडा-201301
वेबसाइट: www.noidaauthorityonline.com

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट नं. 1, नॉलेज पार्क 4, ग्रेटर नौएडा सिटी 201308
वेबसाइट: www.greaternoidaauthority.in

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जा रहा है कि मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देशों/आदेशों के क्रम में वायु प्रदूषण, धुन्ध (smog) की समस्या से निजात हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किये गये हैं जिनका अनुपालन सुनिश्चित करें, नौएडा एंव ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा चलाये जा रहे वायु प्रदूषण (smog) से निजात हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान में सहयोग प्रदान करें।

1. खेतों/घरों में फसलों के अवशेष (पराली) को न जलायें।
2. भवन निर्माण सामग्री/अवशेष को सड़कों के किनारे न रखा जाये।
3. ठोस अपशिष्ट (कूड़ा-कचरा) को सड़कों पर एवं सड़कों के किनारे न फेंका जाये।
4. कूड़ा/अपशिष्ट/प्लास्टिक (कूड़ा-कचरा) न जलाया जाये।
5. कूड़ा-कचरा प्राधिकरण की गाड़ी/निर्धारित स्थान/कूड़ादान में ही डाला जाये।
6. खुले में शौच न करें।
7. पॉलीथीन का प्रयोग न करें।
8. नौएडा एंव ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण क्षेत्र में सभी हॉट मिक्स प्लान्ट एवं रेडी मिक्स प्लान्ट का संचालन तत्काल प्रभाव से बन्द किये जाने का निर्देश राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था आदेश का पालन नहीं करती है तो प्रदूषण उत्पन्न करने वाले के विरूद्ध रु. 5,00,000/- (पाँच लाख रुपये) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
9. नौएडा एंव ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण क्षेत्र में सभी प्रकार की जलाव (burning) जैसे कूड़ा, कचरा, पत्ती, घास-फूस, अलाव, फसलों को काटने के उपरान्त उन्हें खेत में जलाना या ऐसी गतिविधि जिसमें धुंआ, धूल उत्पन्न होता हो, पूर्णतः प्रतिबन्धित है।
10. कोई वाहन/व्यक्ति रेत, बजरी, मिट्टी या अन्य समाग्री खुले में ढुलाई करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा।

उपरोक्त दिशा निर्देशों का अनुपालन न किये जाने एवं ऐसा करते पाये जाने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 की धारा 15 व 16 में किये गये प्राविधानों के अनुसार भवन निर्माण समाग्री के अवशेष सड़क के किनारे/सड़क पर रखे जाने पर रु. 50,000/- (पचास हजार रुपये) एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेके जाने तथा अपशिष्ट को जलाये जाने की प्रत्येक घटना के लिए 5,000 (पाँच हजार रुपये) का आर्थिक दण्ड दोषी के विरुद्ध आरोपित किया जायेगा, जिसके आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

प्रदूषण-जनित गतिविधियों के विषय में सूचना इस नम्बर पर दे सकते हैं।

जिलाधिकारी कार्यालय, गौतमबुद्ध नगर, दूरभाष: 0120-2552552

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय, गौतमबुद्ध नगर: दूरभाष: 0120-2473300, 2514750

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण: दूरभाष: 0120-2425025/26/27, Whatsapp No 9205691028

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण: Whatsapp No 8800882124

आज्ञा से, नौएडा एंव ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण